IN THE COURT OF CIVIL JUDGE (JR. DIV.), PIRO DISTRICT, BHOJPUR

T.S.-163 /21

मो0 शमीम .... वादी

बनाम

मो0 अमीन वगैरह .... प्रतिवादीगण

Dated 18-07-2026

उभय पक्ष की हाजिरी दी गई। आज वाद पुकार पर प्रस्तुत हुआ। वादी तथा प्रतिवादी दोनों पक्ष अपने–अपने विद्वान अधिवक्ताओं सहित उपस्थित हुए। वादी की ओर से आदेश 23 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत दिनांक 10.07.2026 को शपथ पत्र के साथ एक आवेदन पत्र दिया गया जिस पर वादी का हस्ताक्षर है एवं इस आवेदन पत्र के माध्यम से वादी यह निवेदन करते हैं कि वादी के इस आवेदन पत्र को स्वीकार कर वादी की कार्रवाही को स्वत्व वाद संख्या 163/2021 के वापस लेने के अनुमति के साथ तथा भविष्य में कोई वाद नहीं लाने के शर्त के साथ समाप्त करने का आदेश दिया जाए।

वादी की ओर से दिए गए आवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि वाद के पक्षकारों के मध्य विवाद का आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर सैहार्दपूर्ण समाधान हो चुका है। फलस्वरूप वादी अपनी स्वतंत्र इच्छा एवं स्वेच्छा से वर्तमान वाद को वापस लेना चाहता है एवं वादी द्वारा अपने आवेदन पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि वादी वर्तमान वाद के विषय–वस्तु के संबंध में भविष्य में कोई नया वाद संस्थित करने हेतु न्यायालय से किसी प्रकार की अनुमति नहीं चाहता है।

आवेदन पत्र पर प्रतिवादी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नहीं किया गया है। आवेदन पत्र एवं वाद अभिलेख का अवलोकन किया गया। आदेश 23 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत वादी को विधि द्वारा उपबंधित सीमाओं के अधिन अपना वाद वापस लेने का अधिकार प्राप्त है। चूंकि वादी स्वेच्छा से अपना यह स्वत्व वाद संख्या 163/2021 वापस लेना चाहता है तथा नया वाद संस्थित करने की अनुमति भी नहीं चाहता है। इसलिए वादी का यह आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश 23 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत वादी का यह आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। वादी को वर्तमान स्वत्व वाद संख्या

163/2021 वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है। परिणामस्वरूप वर्तमान स्वत्व वाद संख्या 163/2021 वादी द्वारा वापस लिया गया मानते हुए **(Dismissed as withdrawn) निस्तारित** किया जाता है।

कार्यालय इस अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में भेजे।

कुंदन पासवान
सिविल जज (जूनियर डिवीजन)
अनुमंडल न्यायालय पीरो, (भोजपुर)
दिनांक– 18.07.2026